न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक/ /निगरानी/भू.रा./भिण्ड/2018

निगरानी-3502/2018/भिण्ड/भू.रा.

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि. 7/6/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19.6.18 नियत।

7.6.18

छोटेलाल उर्फ रामप्रसाद **पुत्र स्व**. श्री सूबालाल निवासी ग्राम सराय का **पुरा**, **मौजा** सराया तह. वृत्त फूप जिला भिण्ड (म.प्र.)

.... आवेदक

विरुद्ध

विशम्भर उर्फ विश्राम **पुत्र स्व**. श्री सूबालाल निवासी ग्राम सराय का **पुरा**, **मौजा** सराया तह. वृत्त फूप जिला भिण्ड (म.प्र.)

.... अनावेदक

Shivastava 7/6/2018
प्रदीप श्रीवास्तव
E30

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त फूफ जिला भिण्ड के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 46/15–16/अ–27 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 17.5.2018, 29.5.18 एवं 5.6.2018

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर **प्रस्तुत** कर निवेदन करता है।

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय **के** समक्ष बंटवारे का **प्रकरण प्रस्तुत** हुआ था।
2. यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, **विधान** एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3502/2018/भिण्ड/भू.रा. जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री व्ही.के. शर्मा एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	